बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग

संकल्प

विषयः– स्वास्थ्य विभाग के अधीन राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत कार्यरत आशा कार्यकर्त्ता एवं आशा फैसिलीटेटर के पारितोषिक में वृद्धि एवं "ममता" कार्यकत्ताओं के प्रोत्साहन राशि में वृद्धि के संबंध में निर्गत किये गये संकल्प सं० 197(7) दिनांक–06.08.2025 एवं 198(7) दिनांक–06.08.2025 को "दिनांक–01.07.2025 की तिथि से प्रभावी" किये जाने की स्वीकृति ।

मंत्रिपरिषद्, बिहार सरकार की बैठक दिनांक- 05.08.2025 की मद संख्या–33 के रूप में स्वास्थ्य विभाग के अधीन राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत कार्यरत आशा कार्यकर्त्ता एवं आशा फैसिलीटेटर के वर्तमान निर्धारित पारितोषिक रुपये 1000/– (एक हजार रु0) मात्र प्रति माह मे रुपये 2000/– की अतिरिक्त वृद्धि कर कुल रुपये 3000/– (तीन हजार) मात्र प्रतिमाह पारितोषिक के रूप में किये जाने की स्वीकृति प्रदान की गई एव मद सख्या–34 के रूप मे राज्य के सभी सदर, अनुमडल, रेफरल अस्पतालो एव प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों मे कार्यरत "ममता" कार्यकर्त्ता के प्रोत्साहन राशि रू0 300/– के स्थान पर प्रति प्रसव रू0 600/–भुगतान करने की स्वीकृति प्रदान की गई है।

2– उक्त के क्रम मे स्वास्थ्य विभागीय संकल्प–197(7) दिनाक–06.08.2025 के कंडिका–10 एवं 198(7) दिनांक–06.08.2025 के कडिका–08 में क्रमश आशा कार्यकर्त्ता एवं आशा फैसिलीटेटर के पारितोषिक में वृद्धि एवं "ममता" कार्यकत्ताओ के प्रोत्साहन राशि में वृद्धि "सकल्प निर्गत तिथि से प्रभावी होगा" अकित है।

3– अतः उच्च स्तरीय निर्णय एव किये गये घोषणा के क्रम मे स्वास्थ्य विभाग के अधीन राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अतर्गत कार्यरत आशा कार्यकर्त्ता एव आशा फैसिलीटेटर के पारितोषिक मे वृद्धि एवं "ममता" कार्यकत्ताओं के प्रोत्साहन राशि मे वृद्धि के संबंध में निर्गत किये गये सकल्प सं0 197(7) दिनाक–06.08.2025 एव 198(7) दिनांक–06.08.2025 को "दिनांक–01.07.2025 की तिथि से प्रभावी" किये जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

4– विभागीय संकल्प संख्या–197(7) दिनांक–06.08.2025 एवं 198(7) दिनांक–06.08.2025 की शेष शर्त्ते यथावत रहेंगी। सुलभ प्रसंग हेतु उक्त संकल्प का प्रतिलिपि संलग्न किया गया है।

5– इस प्रस्ताव को मंत्रिपरिषद्, बिहार सरकार की बैठक दिनांक–03.10.2025 के मद संख्या–84 के रूप में सम्मिलित एव स्वीकृत किया गया है।

6– संकल्प प्रारूप पर आन्तरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति सचिका संख्या–07/प0क0–बजट–33–08/2023–24 के पृ0–159/टि0 में प्राप्त है।

आदेशः— आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को बिहार राजपत्र के असाधारण अंक में सर्वसाधारण की जानकारी हेतु प्रकाशित किया जाय ।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

(शंभु शरण) 4-10-25
सरकार के अपर सचिव।

ज्ञापांक—07 / प0क0—बजट—33—08 / 2023—24-340(7)/ पटना, दिनांक—04/10/2025

प्रतिलिपिः— अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना को सूचनार्थ एवं बिहार राजपत्र के आगामी असाधारण अक मे प्रकाशनार्थ प्रेषित ।

प्रतिलिपिः— महालेखाकार, बिहार, पटना / संबंधित कोषागार पदाधिकारी, बिहार को सूचनार्थ एव आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः— मुख्य मंत्री सचिवालय /मुख्य सचिव के सचिव / विकास आयुक्त के सचिव / मंत्रिमडल सचिवालय विभाग के आयुक्त के सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपिः— माननीय मंत्री, स्वास्थ्य के आप्त सचिव / सचिव, स्वास्थ्य के आप्त सचिव / सरकार के सभी विभाग / स्वास्थ्य विभाग के सभी पदाधिकारी / सभी प्रमडलीय आयुक्त / सभी जिलाधिकारी / सभी जिला उप विकास आयुक्त / कार्यपालक निदेशक, राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार, पटना / सभी क्षेत्रीय उपनिदेशक, स्वास्थ्य सेवाए / सभी असैनिक शल्य चिकित्सक—सह—मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः—अवर सचिव—सह—निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, स्वास्थ्य विभाग / संबधित प्रशाखा पदाधिकारी, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना / आई0टी0 मैनेजर स्वास्थ्य विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

4-10-25
सरकार के अपर सचिव।